

File No.A-12022/1/2016-CC-MOSPI
भारत सरकार / Government of India
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय /
Ministry of Statistics & Programme Implementation
(संगणक केन्द्र / Computer Centre)

पूर्वी खंड-10, आर. के. पुरम
East Block No.10, R.K. Puram,
नई दिल्ली / New Delhi-110066,
दिनांक / Dated: 28.12.2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Re-constitution of Committee against Sexual harassment of woman at work Place in Computer Centre - reg.

In partial modification of this office's OM of even No. dated 06.12.2023 on the subject cited above, approval of the Competent Authority is hereby conveyed for the re-constitution of the Complaints Committee in Computer Centre to deal with the complaints of sexual harassment of women at work place.

2. The composition of the re-constituted Committee is as under:

1.	Smt. Ambica Anand Chatterjee, Director Mob: 9899564825 Email: ambica.anand@nic.in	Chairman
2.	Ms. Rashmi Sharma, Jt. Director Mob: 011-26163875 Email: sharma.rashmi@nic.in	Member
3.	Shri Amit Kumar, Jt. Director Mob: 9319150485 Email: amit.k89@gov.in	Member
4.	Ms. Indira Saxena Mob: 9650946159 Email: indirasaxena@gmail.com	Non-official Member, Mahila Dakshata Samiti
5.	Smt. Hema Rani, SSO Mob: 9582944117 Email: hema.rani25@nic.in	Member
6.	Smt. Jyoti, SSO Mob: 9971421064 Email: jyoti.ncrb@gov.in	Member Secretary and convenor

3. The Committee will consider the complaints from women employees of Computer Centre only relating to sexual harassment. The word 'Sexual Harassment' will include such Unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise such as:


- Physical contact and advances;
- Demand or request for sexual favours;
- Sexually coloured remarks;
- Showing any pornograph; or
- Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

4. The Committee will provide, where necessary, a special counsellor or other support service including maintenance of confidentiality of the complainant and ensure time-bound treatment and redressal of complaints made by women employees.

5. The guidelines of Supreme Court in this regard as issued vide DoPT&T's OM No.11013/2/2014-Estt.(A.III) dated 27.11.2014 are enclosed for the use of members of the Committee.

6. As per DoPT's OM No 11013/3/2009-Estt(A) dated 8.10.2009, the Committee shall meet at least once in every quarter even if no live case is available, to review the preparedness and fulfil the requirements of the Apex Court's Judgment in Visakha Case. Convener of the Committee shall be responsible for appropriate action in this regard.

7. All complaints by the women employees against sexual harassment received in the Centre shall be routed through the Convener of the Committee to maintain proper records of such complaints and their disposal.



(K. Khatminthang)

Under Secretary to the Govt. of India

Email: k.khatminthang@gov.in

To

All the members of the Committee.

Copy to:

1. Web Unit – with a request to upload on Ministry's website.

Copy for information to:

1. PPS to DG (C&A), MOSPI, K. L. Bhawan, New Delhi – 110001.
2. PPS to ADG, Computer Centre.
3. PS to DDG (RB) / DDG (AB), Computer Centre.
4. PA to DS (Admn. & Vig.), MOSPI, K. L. Bhawan, New Delhi – 110001.

File No.A-12022/1/2016-CC-MOSPI

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संगणक केन्द्र

पूर्वी खंड- 10, सैक्टर-1

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: 28.12.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न पर रोक के लिए समिति का पुनर्गठन-

उपरोक्त विषय पर संगणक केन्द्र के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.12.2023 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए संगणक केन्द्र में शिकायत समिति के पुनर्गठन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतद्वारा सूचित किया जाता है।

2. पुनर्गठित समिति का संघटन निम्नानुसार है:-

1.	सुश्री अंबिका आनन्द चटर्जी, निदेशक मो.: 9899564825 ईमेल: ambica.anand@nic.in	अध्यक्ष
2.	सुश्री रश्मी शर्मा, संयुक्त निदेशक मो.: 011-26163875 ईमेल: sharma.rashmi@nic.in	सदस्य
3.	श्री अमित कुमार, संयुक्त निदेशक मो.: 9319150485 ईमेल: amit.k89@gov.in	सदस्य
4.	सुश्री इंदिरा सक्सेना मो.: 9650946159 ईमेल: indirasaxena@gmail.com	गैर-आधिकारिक सदस्य, महिला दक्षता समिति
5.	सुश्री हेमा रानी, एस एस ओ मो.: 9582944117 ईमेल: hema.rani25@nic.in	सदस्य
6.	सुश्री ज्योति, एस एस ओ मो.: 9971421064 ईमेल: jyoti.ncrb@gov.in	सदस्य सचिव एवं संयोजक

3. समिति संगणक केन्द्र की महिला कर्मचारी की केवल लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी। 'लैंगिक उत्पीड़न' में ऐसे निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, जैसे:

- क) शारीरिक संपर्क और उसका प्रयास करना
- ख) यौनिक रिश्ते बनाने का प्रयास या उसकी मांग

ग) यौनिक शब्दों वाली टिप्पणी

घ) पोर्नोग्राफ दिखाना, या


ड) अन्य कोई भी ऐसा शारीरिक, मौखिक या इशारे आदि से ऐसा अस्वीकार्य व्यवहार जो यौनिक प्रकृति का हो।

4. जहां आवश्यक हो, समिति शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने सहित एक विशेष परामर्शदाता या अन्य सहायता सेवा प्रदान करेगी और महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का समयबद्ध समाधान और निवारण सुनिश्चित करेगी।

5. इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 27.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-स्था(ए.III) द्वारा जारी उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए संलग्न है।

6. डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 08.10.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/3/2009-स्था(ए) के अनुसार विशाखा केस में एपेक्स कोर्ट के निर्णयों की आवश्यकताओं के बारे में तैयारी की समीक्षा और उन्हें पूरा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी भले ही कोई मामला न चल रहा हो। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए समिति के संयोजक जिम्मेदार होंगे।

7. केन्द्र में महिला कर्मचारियों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतें समिति के संयोजक के माध्यम से जाएंगी ताकि ऐसी शिकायतों एवं उनके निपटान का रेकॉर्ड रखा जा सके।



(के. खातमिन्थांग)

अवर सचिव, भारत सरकार

ईमेल : k.khatminthang@gov.in

सेवा में:

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. वेब यूनिट - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक (C&A), एमओएसपीआई, के. एल. भवन, नई दिल्ली-110001 के प्रधान निजी सचिव
2. अपर महानिदेशक, संगणक केन्द्र के प्रधान निजी सचिव
3. उपमहानिदेशक (RB) / उपमहानिदेशक (AB) संगणक केन्द्र के निजी सचिव
4. उपसचिव (प्रशासन एवं सतर्कता), एमओएसपीआई, के. एल. भवन, नई दिल्ली-110001 के वैयक्तिक सहायक।